नोडल अधिकारी के दायित्व–

1. प्रभार के ग्राम में साधिकार दिवस पर ग्राम सभा के आयोजन के पूर्व साधिकार ग्राम दल का प्रशिक्षण आयोजित करना। यह प्रशिक्षण संबंधित ग्राम में ही दिया जावेगा।

2. नियुक्ति आदेश प्राप्त होते ही प्राभार के ग्राम में जाकर सरपंच,सचिव,पटवारी के साथ चर्चा कर ग्राम में ही उपरोक्त स्थल का चयन ग्राम सभा के आयोजन हेतु करना एवं उसका व्यापक प्रचार प्रसार करना।

3. साधिकार दिवस पर आयोजित होने वाले ग्राम सभा का व्यापक प्राचार प्रसार सुनिश्चित करना । स्थान, दिनांक एवं समय के बारे में जानकारी जनता तक पहूॅचाना।

4. साधिकार ग्राम दल के सदस्यों को प्रोत्साहित करना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना एवं कार्य की समीक्षा करना ।

5. साधिकार दिवस पर समस्त व्यवस्थाऐं देखना जानकारी निर्धारित प्रारूप में तैयार करना एवं नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करना ।

6. साधिकार दिवस के द्वितीय चरण में समस्त लाभ नागरिको/हितग्राहियो को दिलाना सुनिश्चित करना एवं निर्धारित प्रारूप में जानकारी एकत्रित करना एवं प्रेक्षक को उपलब्ध कराना।

7. नोडल अधिकारी एस.डी.एम. व सी.ई.ओ. जनपद पंचायत के सतत सम्पर्क में रहेगे।

(बी.चंद्रशेखर)
कलेक्टर
जिला रतलाम

प्रेक्षक के दायित्वः–

01. नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण देना उनके सत्त संपर्क में रहना ।
02. निर्धारित तिथियों पर साधिकार दिवसों का आयोजन सुनिश्चित करना ।
03. साधिकार दिवस को विस्तृत रिपोर्ट संकलित करना ।
04. प्रथम साधिकार दिवस पर प्राप्त समस्त आवेदनों में स्वीकृति की कार्यवाही को दिन प्रतिदिन समीक्षा संबंधित विभागों के अधिकारियों से करना एंव द्वितीय साधिकार दिवस के पूर्व शतप्रतिशत निराकरण कराना ।
05. प्रथम साधिकार दिवस पर प्रकाश में आए समस्त योजनाओं के लंबित लाभ माह जुलाई 2015 तक की स्थिति में दिलाने हेतु समस्त विभागों से समीक्षा कर द्वितीय साधिकार दिवस के पूर्व लाभ दिलाना सुनिश्चित करना ।
06. समय पर समस्त रिपोर्ट नोडल अधिकारियों से प्राप्त करना एंव स्वंय की रिपोर्ट समय पर देना ।

(बी.चंद्रशेखर)
कलेक्टर
जिला रतलाम

पृ. कमांक /साधिकार अभियान/2015 रतलाम दिनांक 18.07.2015

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
2. अपर कलेक्टर जिला रतलाम
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम /जावरा /आलोट / सैलाना ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रतलाम/जावरा/पिपलौदा/आलौट/सैलाना बाजना।
6. संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख ....

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
जिला रतलाम

साधिकार दिवस पर आयोजित प्रथम चरण की ग्राम सभा की रूपरेखा नियमानुसार रहेगी।

10. ग्राम सभा का आयोजन पूर्व निर्धारित एवं प्रचारित स्थान एवं समय पर किया जावेगा।

11. ग्राम सभा में ग्रामीण जनों के बैठने हेतु दरी, तारपोलिन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत सचिव द्वारा की जावेगी।

12. सर्व प्रथम नोडल अधिकारी द्वारा (यदि किसी विशेष योजना के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित है तो उनके द्वारा) समस्त योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी जैसे– पात्रता तथा मिलने वाले लाभ के बारे में ग्राम सभा में दी जावेगी।

13. तत्पश्चात उपस्थित ग्रामीणों द्वारा दिये गये आवेदन (जो पूर्व से ग्राम दल में सदस्य द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दिये गये होगें) प्राप्त कर सूचीबद्ध किया जावेगा। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा मौखिक निवेदन करने पर या ग्राम दल के सदस्यों की जानकारी अनुसार कोई ग्रामीण पात्र होने की संभावना पर तत्काल ही उसका आवेदन भरा जावेगा उस आवेदन को निर्धारित प्रारूप में सूचीबद्ध किया जावेगा।

14. पूर्व से स्वीकृति प्रकरणों में यदि लाभ नहीं मिला है (जैसे– वृद्धावस्था पेंशन की राशि कुछ माहों से न मिलना या म0प्र0भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मण्डल का जीवित कार्ड होने पर भी पात्रता अनुसार लाभ न मिलना,आदि) तो उसकी पृथक सूची तैयार की जावेगी (प्रारूप 2 में)

15. समस्त नवीन आवेदनों (जिनके नवीन आवेदन प्राप्त किये गये/भरे गये है) को आगामी साधिकार दिवस की तिथि एवं समय की जानकारी दी जावेगी। ़द्वितीय साधिकार दिवस पर ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया जावेगा मात्र हितग्राहीयों एकत्रित कर लाभ का वितरण किया जावेगा।

16. प्रथम साधिकार दिवस पर आयोजित ग्राम सभा की विधिवत कार्यवाही विवरण तैयार किया जावेगा। उसमें योजनावार प्राप्त आवेदनों की संख्या का उल्लेख किया जावेगा । साथ ही आवश्यकतानुसार ग्राम साभा द्वारा अनुमोदन किये जाने का उल्लेख किया जावेगा।

17. प्रेक्षक के आने पर प्रेक्षक द्वारा साधिकार दिवस पर एकत्रित ग्रामीणों को संक्षिप्त रूप सम्बोधित किया जावेगा एवं यदि कोई शंका हो तो उसका निवारण किया जावेगा।

18. साधिकार दिवस कार्यक्रम समाप्ति पश्चात् विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रारूप में नोडल अधिकारी एवं सचिव द्वारा सयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कर प्रेक्षक को सौपी जावेगी।

(बी.चन्द्रशेखर)
कलेक्टर
जिला रतलाम